भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4903
दिनांक 31 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

किशोर निगरानी गृह

4903. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किशोर निगरानी गृहों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इनकी आवासीय क्षमता कितनी है तथा इनमें रहने वालों की संख्या कितनी है.
(ख) क्या ऐसे राज्य हैं जहां किशोर निगरानी गृह नहीं हैं:
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:
(घ) क्या किशोर निगरानी गृहों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए निर्धारित मानदंड हैं, और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत किशोर निगरानी गृह निर्धारित मानको का अनुपालन करते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में अधिनियम के तहत किसी जांच के लंबित होने के दौरान, कानून का उल्लंघन करने के आरोपी किसी बच्चे के अस्थायी आवास, देखभाल और पुनर्वास के लिए निगरानी गृह शामिल हैं। निगरानी गृहों सहित सीसीआई सामान्यतया 50 बच्चों को समायोजित करने का सहयोग करते हैं, हालांकि, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, 25 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई को राज्यों की जरूरत के अनुसार सहयोग प्रदान किया जाता है। किशोर निगरानी गृहों की राज्य-वार सूची उनके निवासियों सहित (31.03.2022 तक) **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(घ) और (ङ): किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) में नियम 29 से नियम 40 के तहत निगरानी गृहों सहित सीसीआई में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसे आयु, लिंग के अनुसार बच्चों को अलग करना, पर्याप्त प्रकाश बनाए रखना, हीटिंग और कूलिंग की व्यवस्था, वेंटिलेशन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सुलभ लिंग और आयु अनुकूल और विकलांग अनुकूल शौचालय, कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन और अन्य सामान, न्यूनतम पोषण मानकों और आहार पैमाने, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाओं आदि के पैरामीटरों और देखभाल मानकों का प्रावधान है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें किशोर निगरानी गृहों सहित सीसीआई को सुविधाएं प्रदान करना और देखभाल के मानकों का रखरखाव शामिल है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 54 के तहत, राज्य सरकारों को निरीक्षण समितियों की नियुक्ति करनी होती है और धारा 53 के तहत, अपने मानकों को बनाए रखने के लिए संस्थान की मूलभत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का आकलन करना होता है। जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों को देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए जिले में नोडल प्राधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

निर्धारित मानकों का अनुपालन करने वाले किशोर निगरानी गृहों के प्रतिशत के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, हालांकि मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार

देखभाल के मानकों का पालन करते हैं। सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न परामर्श भेजे गए हैं।

इसके अलावा, अन्य बातों के साथ ही इन गृहों में रहने वाले कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को आयु अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि तक पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए निगरानी गृहों सहित सीसीआई की स्थापना में सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****

अनुलग्नक-I

किशोर निगरानी गृहों के संबंध में श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा दिनांक 31.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4903 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

किशोर निगरानी गृहों की राज्य-वार सूची और उनके निवासी (31.03.2022 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निगरानी गृह	लाभार्थी/निवासी
1	आंध्र प्रदेश	12	158
2	अरुणाचल प्रदेश	1*	3
3	असम	5	150
4	बिहार	20	1019
5	छत्तीसगढ	13	296
6	गोवा	2	1
7	गुजरात	6	160
8	हरियाणा	3	103
9	हिमाचल प्रदेश	2*	20
10	जम्मू और कश्मीर	2	43
11	झारखंड	13	718
12	कर्नाटक	17	142
13	केरल	8	200
14	मध्य प्रदेश	18	254
15	महाराष्ट्र	55	1932
16	मणिपुर	4	34
17	मेघालय	3	15
18	मिजोरम	8	61
19	नागालैंड	12	71
20	ओडिशा	7*	587
21	पंजाब	4	191
22	राजस्थान Rajasthan	34	441
23	सिक्किम	2	10
24	तमिलनाडु	8	329
25	त्रिपुरा	3	7
26	उतार प्रदेश।	26	2260
27	उत्तराखंड	10	84
28	पश्चिम बंगाल	7	176
29	तेलंगाना	3	75
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1*	2
31	चंडीगढ़	1	24
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
33	लद्दाख	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली एन.सी.टी	4	196
36	पुदुचेरी	2	7
योग		**316**	**9769**

*** निगरानी सह विशेष गृह**